अपर समाहर्त्ताओं के साथ दिनांक 21.10.2013 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

आज दिनांक 21.1.2013 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहत्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी, जिसमें सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा अगस्त महीने के प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर अक्टूबर माह में हो रहे बैठक पर खेद एवं आश्चर्य व्यक्त किया गया। उन्हें बताया गया सितम्बर महीने के प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में अगस्त महीने के प्रतिवेदनों को संकलित किया गया है। इसमें भी कुछ जिलों से अगस्त महीने का प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक पिछले माह का प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से सभी जिलों के द्वारा भेजा जाना चाहिए, ताकि गत माह के आकड़े को संकलित कर बैठक में रखा जा सके। उक्त निर्धारित तिथि तक जिन जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त हों उन जिलों की सूचना अधोहस्ताक्षरी को दी जाय तथा यह भी निदेश दिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संबंधित प्रशाखा (प्रशाखा– 10) निर्धारित अवधि तक प्राप्त नहीं होने वाले जिलों की सूची तैयार कर उपस्थापित करें। जिलों से ससमय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा।

तदुपरान्त सभी जिलों से कार्यावली बिन्दुवार विशेष एवं विस्तृत समीक्षा की गयी।

1. भू–हदबंदी, भूदान, गैर मजरूआ आम एवं मालिक भूमि के अर्जन, प्राप्ति, वितरण, अधिशेष एवं वितरण अयोग्य भूमि के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। उपरोक्त सभी प्रकार के भूमि से संबंधित प्रतिवेदन पर परिचर्चा के दौरान कतिपय अपर समाहर्त्ताओं द्वारा अपने भेजे गये प्रतिवेदनों से भिन्नता जाहिर की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा संधारित ऑकड़े एवं जिलों के ऑकड़ों में कहीं न कहीं त्रृटि है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विभागीय वेब साईट www.lrc.bih.nic.in पर अधिशेष भूमि, भूदान यज्ञ से प्राप्त भूमि, गैर मजरूआ आम और मालिक भूमि से संबंधित जिलावार ऑकड़े डाल दिये जाएँ और सभी अपर समाहर्त्ता अपने जिले से संबंधित ऑकड़ों की शुद्धता की जॉच कर लें तथा श्री अवनीश कुमार सिंह (भा0प्र0से0), विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ई–मेल upbihar2@gmail.com पर दिनांक 15.11.2013 के पूर्व प्रेषित कर दी जाय।

जिन जिलों से निर्धारित अवधि तक कोई संशोधन प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि उन जिलों का विभागीय स्तर पर तैयार किये गये ऑकड़ें सही हैं और भविष्य में होने वाले किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित अपर समाहर्त्ता इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

2.(क) इसी प्रकार कंडिका–1 में वर्णित सभी प्रकार के भूमि की बेदखली से संबंधित विभाग स्तर पर तैयार किये गये ऑकड़े के आधार पर समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि कई जिलों के ऑकड़े अप्राप्त हैं और त्रुटिपूर्ण है। कुछ जिलों के ऑकड़े यथा भोजपुर, शेखपुरा एवं कटिहार में सभी प्रकार के भूमि का बेदखली शून्य पाया गया है। जबकि अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ अभियान चलाकर सभी प्रकार के बेदखली से आवेदनों का जॉच किया जा रहा है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बेदखली

से संबंधित सभी मामले जिलावार ऑकड़ों को विभागीय बेव साईट पर डाल दे तथा अपर समाहर्त्ता ऑकड़ों का शुद्धिकरण कर 15 नवम्बर तक विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ई–मेल पर भेजे दें।

(ख) इसी प्रकार सामान्य प्रकृति के सभी प्रकार के जो बेदखली के मामले हैं उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेदखली के मामले की अलग से समीक्षा हेतु ऑकड़ों की आवश्यकता है क्योंकि इसकी आवश्यकता अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण से संबंधित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिये कंडिका– (क) में संधारित ऑकड़ों में से उसी प्रपत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेदखली से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह बैठक में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही जिन जिलों से संबंधित ऑकड़े 15 नवम्बर, 2013 तक विशेष कार्य पदाधिकारी के ई–मेल पर शुद्ध किये गये प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो उपलब्ध विभागीय ऑकड़ों को उन जिलों की उपलब्धि में संकलित कर दिया जायेगा।

(ग) प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिस प्रकार से पूर्णियाँ प्रमण्डल में एक–एक ब्लॉक का बी0पी0पी0एच0टी0 एवं भू–हदबंदी के लाभूकों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, उसी तरह सभी जिलों में वितरित भूमि का भौतिक सत्यापन भी युद्ध स्तर पर कराने की कार्रवाई की जाय।

(कार्रवाई– विभाग एवं सभी जिला)

3. <u>बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 (बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयत बासभूमि अभिधृति अधिनियम) के कार्यान्वयन की</u> स्थिति :–

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 के अन्तर्गत लम्बित वासगीत पर्चा से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कई जिलों में यथा पटना, वैशाली, सिवान एवं पूर्णियाँ जैसे जिलों में काफी मात्रा में बासगीत पर्चा से संबंधित आवेदन लम्बित हैं। प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी जिलों को अपने ऑकड़े को पुनः जॉच कर शुद्ध कर लेने का निदेश दिया गया और निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्रतिवेदन ई–मेल के द्वारा भेजने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के दौरान पटना जिले में 417 मामलों में 78.46 एकड़ जमीन और पूर्णियाँ में 418 आवेदन पत्रों में 20.34 एकड़ जमीन, वैशाली में 823 आवेदन पत्रों में 45.40 एकड़ जमीन के मामले लम्बित दिखाये गये हैं। तुलनात्मक समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, पटना के द्वारा बताया गया कि इसमें अधिकांश मामले फुलवारी शरीफ अंचल से संबंधित हैं। निदेश दिया गया कि अपर समाहर्त्ता, पटना स्वयं फुलवारी शरीफ अंचल के बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 अधिनियम के अन्तर्गत लंबित आवेदन पत्रों की गहन जाँच कर एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को भी प्रेषित करेंगे।स्वयं करके इसका प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 के उपलब्ध आँकड़ों को विभागीय बेव साईट पर डालने का निदेश दिया गया तथा सभी जिला उन आँकड़ों को सत्यापित कर लेंगे एवं यदि कोई संशोधन हो तो उसे सुधार कर लेंगे।

(कार्रवाई– विभाग एवं सभी जिला)

4. **कर्मचारी/अमीन/अंचल निरीक्षक के स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्ति की स्थिति** :–

संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस वर्ष नवम्बर माह के अन्त तक उक्त पदों की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। कुछेक जिलों से लगातार स्मारित किये जाने के बाद भी वांछित सूचना अप्राप्त है। अतः वैसे सभी जिलों से अनुरोध किया गया कि वे कर्मचारी/अमीन/अंचल निरीक्षक के रिक्त पदों की आरक्षण कोटिवार सूचना नवम्बर माह के मध्य तक विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दें, ताकि आयोग द्वारा निकाले जाने वाले नियुक्ति संबंधी विज्ञापन में इन पदों को भी सम्मिलित किया जा सके। यह कार्रवाई विभागीय हित में हैं तथा चूक होने पर जिलों में इन कर्मियों के अभाव की जिम्मेदारी सीधे दोषी जिलों की होगी।

(कार्रवाई– सभी संबंधित जिला)

5. **जन शिकायत संबंधी आवेदन पत्रों के निष्पादन के संबंध में** :–

सभी जिलों को प्रेषित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम/मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आवेदन पत्र/मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग/विभागीय मंत्री कोषांग इत्यादि से प्राप्त जन शिकायत संबंधी आवेदन पत्र के निष्पादन की अद्यतन स्थिति का जिलावार व्यौरा प्रदर्शित किया गया। शिवहर एवं किशनगंज जिले में सबसे अधिक लम्बित मामले पाये गये। उन्हें तथा अन्य सभी जिलों को निदेशित किया गया कि जन शिकायत संबंधी प्राप्त सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित कराये। जिन आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है, उसे विभागीय ई–मेल पर शीघ्र भेज दें।

(कार्रवाई– सभी जिला)

6. **ए0सी0/डी0सी0 विपत्रों के समायोजन की स्थिति** :–

प्रधान सचिव द्वारा ए0सी0 के लम्बित विपत्रों को google drive पर डाल दिया गया है। इससे उन्हें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम एवं कोड भी मिल सकता है। उनके द्वारा बताया गया कि ए0सी0/डी0सी0 विपत्र को कम्प्यूटर पर शेयर करने का तरीका जिले के आपदा प्रबंधन कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटरों से ज्ञात कर लिया जाय। ए0सी0 विपत्रों के संबंध में विभागीय सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, जिनका मोबाईल सं0– **8083221979** है, से महालेखाकार, बिहार के कार्यालय में जाने से पूर्व अवश्य सम्पर्क कर जाँच करा लिया जाए तथा जाँचोपरान्त विपत्रों को समायोजन हेतु महालेखाकार कार्यालय में जमा किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा ए0सी0 विपत्र जमा होने पर विपत्रों को google drive पर शेयर करने का निदेश दिया गया। जो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि पटना आते हैं, वे बिना विपत्रों के समायोजन कराये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

(कार्रवाई– सभी जिला)

7. **भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण तथा N.L.R.M.P. की प्रगति के संबंध में** :–

आधुनिक भू–अभिलेखागार के निर्माण, भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण एवं अन्य संदर्भित विषयों पर भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से सभी जिलों की समीक्षा की गयी। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि भू–अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण का कार्य तथा मौजावार किये गये सर्वेक्षण का भौतिक सत्यापन शत–प्रतिशत सम्पन्न करायें।

(कार्रवाई– सभी जिला)

8. **न्यायालीय मुकदमों का निष्पादन के संबंध में :–**

संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह में एक बार मुख्य सचिव के द्वारा सभी विभागीय प्रधान सचिवों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 वादों की समीक्षा विभागवार की जाती है। इस मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। विभाग के अन्तर्गत कुल 520 सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले एवं 58 एम0जे0सी0 के मामले प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा दायर करने हेतु लम्बित हैं। इन लम्बित मामलों का त्वरित निष्पादन अत्यावश्यक है। उन्होंने निदेश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी लम्बित मुकदमों की सही स्थिति ज्ञात कर लिया जाए तथा अधिक–से–अधिक मामलों में प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित सरकारी अधिवक्ता को भेजा जाए। जिन मामलों में प्रतिशपथ–पत्र/कारण–पृच्छा दायर हो चुके हों तो उसकी शपथ संख्या एवं तिथि विभाग को अविलम्ब फैक्स/ई–मेल द्वारा सूचित कर दिया जाय।

(कार्रवाई– सभी जिला)

9. **सेवान्त लाभ :–**

संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह में अलग–अलग मुख्य सचिव, बिहार तथा वित्त विभाग के स्तर से सेवान्त लाभों की प्रगति की गहन समीक्षा की जाती है। आँकड़े अप्राप्त रहने के कारण समीक्षा के दौरान पूरी वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस संबंध में विभाग के स्तर से सभी समाहर्त्ता को पत्र भी दिया गया है।

सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि सेवान्त लाभ के मामलों पर विशेष ध्यान देकर उसका त्वरित निष्पादन कराया जाय तथा हर माह की 10 वीं तिथि तक वित्त विभाग द्वारा संधारित विहित प्रपत्र संख्या–I, II, III, IV एवं V में वांछित सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाते हुये विभाग को ई–मेल किया जाय तथा इसके अतिरिक्त विशेष दूत द्वारा इसकी हार्ड प्रति विभाग को भेजी जाय।

(कार्रवाई– सभी जिला)

10. **विभागीय कार्यवाही :–**

विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के संदर्भ में बताया गया कि 27 जिलों में कुल 61 मामले लम्बित हैं, जिनमें संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस मामले में भी मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाती है। उक्त समीक्षात्मक बैठक के दौरान मुख्य सचिव का यह निदेश भी हुआ है कि जिनके समक्ष ऐसे मामले लम्बित हैं, उनपर भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

इस संबंध में निदेशित किया गया कि अभियान चलाकर एक माह के अन्दर सभी लम्बित विभागीय कार्यवाहियों में संचालन पदाधिकारी के स्तर से प्रतिवेदन विभाग को भेजवायें ताकि मामलों का निष्पादन हो सके।

(कार्रवाई– विभागीय निगरानी कोषांग एवं सभी संबंधित जिला)

11. **विधान मंडलीय कार्य :–**

विधान सभा/विधान परिषद् के लम्बित प्रश्न/आश्वासन/निवेदन तथा विशेष रूप से विधान सभा के शून्यकाल के लम्बित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने का निदेश दिया गया ताकि विधान समितियों की बैठक में विभागीय निष्पादन की स्थिति सुदृढ़ हो सके। अगली बैठक के पूर्व शत प्रतिशत विधान मंडलीय

लंबित प्रश्नों/आश्वासनों/निवेदनों/शून्यकाल प्रश्नों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अगली बैठक में गहन समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी जिला)

12. महादलित विकास योजना :–

प्रत्येक जिलों से महादलित विकास योजना के अन्तर्गत महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के संदर्भ में प्रथम एवं द्वितीय चरण की स्थिति की समीक्षा की गयी।

अभी–भी कई जिलों यथा सहरसा, मधुबनी, पटना मधेपुरा, शिवहर, जहानाबाद, खगड़िया, शेखपुरा, अररिया, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, पूर्णिया, जमुई एवं पश्चिम चम्पारण में प्रथम चरण की शतप्रतिशत उपलब्धि नहीं हो पायी है। उन्हें निदेशित किया गया कि वे प्रथम चरण की शत–प्रतिशत उपलब्धि को पूर्ण करें।

अधिकांश जिलों द्वारा महादलित विकास अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय योजना द्वारा महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने में आ रही कठिनाई को इंगित करते हुये बताया गया कि 20,000/– रुपये में वास भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण भूमि के न्यूनतम निबंधन मूल्य (MVR) में सरकार द्वारा बढ़ोत्तरी बताया गया।

द्वितीय चरण में कई जिलों यथा मधेपुरा, शिवहर, कैमूर, बाँका, मुंगेर, खगड़िया, किशनगंज, अररिया एवं नवादा में अभी–तक 50 प्रतिशत की भी उपलब्धि नहीं हो पायी है। उन्हें निदेशित किया गया कि द्वितीय चरण के सर्वेक्षण के उपरान्त महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने का कार्य भी शत–प्रतिशत पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर हों।

(कार्रवाई– संबंधित सभी जिला)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

FAX
E-Mail.

ज्ञापांकः– 10/प्र०अ०(बैठक)-55/2013- 327 (10) /प्रा०, पटना–15, दिनांक 12.11.13

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारीगण/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/13

(शशि भूषण तिवारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।